

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

21-देहरादून कैन्टोनमेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्रीमती सविता कपूर निवासी 230, इन्द्रा नगर कॉलोनी, वसन्त विहार देहरादून जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई, उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान-देहरादून
तारीख-10.03.2022


(डा० शिव कुमार बरनवाल)
रिटर्निंग आफिसर
21-देहरादून कैन्टोनमेन्ट
विधानसभा।

रिटर्निंग ऑफिसर
21-देहरादून कैन्टोनमेन्ट, विधान सभा निर्वाचन के
(अधिशाली निदेशक, शुगर मिल, डोईवाला)

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **21-Dehradun Cantt.** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Savita Kapoor

230 indra nagar colony, vasant vihar, dehradun [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : देहरादून

Date : 10-03-2022

(Dr. Shiv Kumar Barnwal)

Returning Officer

021-Dehradun Cantt.

Legislative Assembly Constituency

रिटर्निंग ऑफिसर

एन-देहरादून कैंटोमेन्ट, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
(सिटी निवेशक, सुगर फ्लोर, रोडवाला)